

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 515]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 सितम्बर 2017—भाद्र 31, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2017

क्र. एफ-ए-3-36-2017-1-पांच (110).—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 54 की उपधारा (3) के परंतुक के उपवाक्य (ii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ-ए-3-36-2017-1-पांच (78), दिनांक 25 जुलाई, 2017, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), क्रमांक 392, दिनांक 26 जुलाई 2017 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्ट के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“6A

5801

कॉर्डरॉय कपड़े”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2017

क्र. एफ-ए-3-36-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-36-2017-1-पांच (110), दिनांक 22 सितम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd September 2017

No. F-A-36-2017-1-V(110).—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to sub-section (3) of Section 54 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification issued by this department No. F. A.-3-36-2017-1-FIVE (66), dated the 30th June, 2017, published in the Madhya Pradesh Rajpatra (Extraordinary) No. 319 dated 30th June 2017, namely:—

In the said notification, in the Table, after S. No. 6 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely:—

“ 6A	5801	Corduroy fabrics.”.
------	------	---------------------

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.